711

95

न्यायालय : राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

विविध 9276/16

मोहनलाल असाटी वल्द बारेलाल असाटी

सािकन ईशानगर छतरपुर जिला छतरपुर

-- आवेदक

॥ विरुद्ध ॥

म0प्र0 शासन -- अनावेदक

भूल-सुधार बावत आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा -32 म.प्र. भू. रा.

संक्षिप्त :-

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

1) यह कि, श्रीमान न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 3025-एक/6 में दिनांक 05/09/16 को आदेश पारित किया गया है जिसमें मूलवश निगरानी आवेदन में टंकण त्रुटि के कारण पृष्ठ -1 के पैरा एक की दूसरी लाइन पर खसरा नंबर 1945/2 की जगह खसरा नं. 1943/2 दर्ज हो गया । उसी आधार पर माननीय न्यायालय से आदेश पारित हो गया है जबकि निगरानी के साथ जो भी दस्तावेज पट्टा की नकल में खसरा नंबर 1945/2 है दर्ज जो कि सच व सही है ।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त आवेदन स्वीकार कर जहाँ जहाँ निगरानी आवेदन एवं आदेश दिनांक 05/09/16 में ख.नं. 1943/2 दर्ज है उन सभी जगहों पर खसरा नं. 1943/2 की जगह ख.नं. 1945/2 टंकित की जाने की कृपा की जावें ।

सागर

दिनांक :

आवेदक/अभिभाषक

मोहनलाल

संलग्न -पट्टा की नकल एवं पारित आदेश की प्रति

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9276–एक / 16 जिला –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों आदि के
6 .12.16	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर उनके द्वारा भूल सुधार बावत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2– उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि न्यायालय राजस्व मण्डल प्र0 क0 निग0 3025–एक / 16 में पारित आदेश दिनांक 5.9.16 में भूलवश निगरानी आवेदन में टंकण की त्रुटि से पृष्ठ कमांक 1 के पैरा एक की दूसरी लाईन पर खसरा नंबर 1945 / 2 की जगह खसरा नंबर 1943 / 2 दर्ज हो गया है । उसी आधार पर माननीय न्यायालय से आदेश पारित किया है उसमें भी खसरा नंबर 1943 / 2 हो गया है । उन सभी जगहों पर खसरा नं0 1943 / 2 की जगह खसरा नबर 1945 / 2 करने का अनुरोध किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी मेमो के पृष्ठ 1 के पैरा एक की दूसरी लाईन पर खसरा नंबर 1943 / 2 की जगह 1945 / 2 पढ़ा जावे। इसी प्रकार आदेश में पैरा 2 के आठवीं लाईन में ख0 न0 1943 / 2 के स्थान पर खसरा नंबर 1945 / 2 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	